कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी)

वन विभाग, बेसमेन्ट, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष : 0755 2674302
फैक्स : 0755 2555480
ई.मेल : apccfit@mp.gov.in
वेबसाईट : https//mpforest.gov.in

क्रमांक / सू.प्रौ. / 537 भोपाल, दिनांक : 06/07/19

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय),
सतना, डिण्डोरी, दक्षिण बालाघाट,दक्षिण सिवनी,पश्चिम बैतूल,
सीहोर,उत्तर बैतूल,होशंगाबाद,रायसेन,धार,झाबुआ, बड़वानी,
सेंधवा,दक्षिण सागर,दक्षिण पन्ना,श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया (म.प्र.)

विषय :– वर्ष 2019–20 में इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट परियोजना के तहत अनुमोदित APO में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा Capacity Building Program के अंतर्गत 18 वन मण्डलो के प्रशिक्षण बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमाक / सू.प्रौ. / 365,भोपाल दिनांक 15 / 05 / 2019

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सर्दभित पत्र के तारतम्य में लेख है कि इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट परियोजना के तहत वर्ष 2019–20 में अनुमोदित APO में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा Capacity Building Program के अंतर्गत 18 वन मण्डलो के भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबधित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त वन मण्डलों में आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ है। इस कार्यालय द्वारा जी.पी. एस. (जी.एन.एस.एस.) उपकरण आपको प्रदाय किये जा चुके है, कृपया उन्हें प्रशिक्षण स्थल पर पर्याप्त रूप से चार्ज कि हुई बेटरी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

1. वन मण्डलो में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञ का नाम संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है।
2. प्रस्तावित कार्यो में भौंगोलिक सूचना प्रणाली से संबधित प्रशिक्षण वन मण्डल के अमले को दिया जाना है। प्रशिक्षण के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर, मानचित्रकार एवं क्षेत्रीय अधिकारियो / कर्मचारियो को सूचित करने का कष्ट करे।
3. प्रशिक्षण दो दिवसीय है, प्रथम दिवस प्रस्तुतिकरण एवं हैण्ड्स ऑन तथा द्वितीय दिवस जी.पी.एस. का प्रशिक्षण आसपास के वन क्षेत्रो में किया जाएगा। आपके वन मण्डल में प्रथम दिवस के लिए जिला मुख्यालय में जिला ई.गवर्नेस सोसाईटी द्वारा विकसित सुविधा को परिशिष्ट–1 में दी गई तिथि के लिए आरक्षित किया जाए। कृपया सुनिश्चित करे कि सुविधा का आरक्षण तत्काल हो जाए।
4. जिला ई गवर्नेस सोसाईटी द्वारा चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था नही कि जाती है। उक्त व्यवस्था आपके द्वारा स्थानीय रूप से की जाएगी। द्वितीय दिवस सम्पूर्ण दिन स्थानीय वन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए भी पैक लंच की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाएगी। चाय नाश्ता एवं भोजन के लिए बजट आंवटित किया गया है।
5. प्रशिक्षक के ठहरने, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था संम्बधित वनमण्डलाधिकारी को करनी होगी।
6. प्रत्येक वन मण्डल में संलग्न परिशिष्ट–2 में दिए गये प्रावधान के अनुसार व्यय किया जाएगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(के. रमन)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू.प्रौ.)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / सू.प्रौ. / 538 भोपाल, दिनांक : 06/07/19

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ग्रीन इण्डिया मिशन) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रीवा, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, भोपाल, इन्दौर, खंडवा, होशंगाबाद, सागर, छतरपुर, ग्वालियर, शिवपुरी एवं शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू.प्रौ.)
मध्यप्रदेश, भोपाल